



2026:AHC-LKO:20504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 474/2026

आयुष तिवारी उर्फ आयुष कुमार तिवारी

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.... विरोधी पक्ष (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, अरुण कुमार द्विवेदी, मनोज कुमार द्विवेदी

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. तिवारी की दलीलें सुनीं, और साथ ही अभिलेख का भी अवलोकन किया।



2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 335/2025 में ज़मानत की मांग करते हुए द खिल किया गया है; यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 351(3) के अंतर्गत पुलिस थाना अमेठी, ज़िला अमेठी में दर्ज है।

3. इस आवेदन पर ज़ोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 03.12.2025 को पुलिस थाना अमेठी, ज़िला अमेठी में वाद अपराध संख्या 0335/2025 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3), 338, 318(4), 319(2), 316(2) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। आवेदक का आठ वादों का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण इस ज़मानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के अनुच्छेद 24 में दिया गया है, और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इसका खंडन नहीं किया है।

5. आगे यह भी कहा गया है कि वाद अपराध संख्या 0335/2025 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के समान ही आरोप लगाते हुए, आवेदक के विरुद्ध दो अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट वाद अपराध संख्या 247/2025 और 337/2025 भी दर्ज की गई थीं। इन वादों में, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 10293/2025 और 419/2026 में क्रमशः दिनांक 10.11.2025 और 12.02.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से आवेदक को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है।

6. संदर्भित आदेश दिनांक 12.02.2026, जो आपराधिक विविध वाद में पारित किया गया था। ज़मानत आवेदन संख्या 419/2026, निम्नानुसार है:

“आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, और अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि इसी घटना के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338 और 351(3) के अंतर्गत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 247/2025 पहले ही दर्ज की जा चुकी है, जिसमें आवेदक और सह-अभियुक्तों दोनों को ज़मानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के पक्ष में पारित ज़मानत आदेश को वर्तमान ज़मानत आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है।

आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है, और उन्हीं आरोपों के आधार पर, यह प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य छात्र द्वारा दर्ज कराई गई है। इसी घटना के संबंध में कई अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई हैं। आवेदक पहले से ही वाद अपराध संख्या 247/2025 में विचारण का सामना कर रहा है, और इसलिए, वर्तमान अभियोजन दोहरे दंड के समान है। यह तर्क भी दिया गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने बयान में वर्तमान आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है, और केवल किसी अन्य छात्र द्वारा सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। विद्वान



अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आवेदक का इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से कोई संबंध नहीं है, और वह न तो उसका प्रबंधक है और न ही उसका क्लर्क। आवेदक दिनांक 15.09.2025 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के अनुच्छेद 24 में विधिवत स्पष्ट किया गया है।

आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि जेल से रिहा होने के बाद आवेदक के भाग जाने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों के अनुसार, आवेदक उक्त संस्थान में उप प्रबंधक (परामर्शदाता) के पद पर कार्यरत था। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि जाँच अभी भी जारी है।

निवेदनों पर विचार करने के बाद और वाद के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर समुचित विचार करने पर विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, उसे पहले ही वाद अपराध संख्या 247/2025 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है जो प्रतीत होता है कि उसी घटना के लिए दर्ज किया गया था और इसके अतिरिक्त इस बात पर विचार करते

हुए कि आवेदक दिनांक 15.09.2025 से न्यायिक हिरासत में है यह न्यायालय आवेदक को जमानत देने के लिए इसे एक उपयुक्त वाद मानता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक आयुष तिवारी उर्फ आयुष कुमार तिवारी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 337/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 351(3) (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504, 416, 420, 367, 506) पुलिस थाना- अमेठी, जिला- अमेठी में शामिल है, को उपरोक्त वाद में जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

कोई अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं, जिसे विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय वाद की परिस्थितियों को देखते हुए उचित और सही समझे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और विचारण के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. आगे यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है और आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा और अभियोजन पक्ष के साक्षियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, यद्यपि वे आवेदक के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक के अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उचित विचार करने के बाद, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के समान आरोप लगाते हुए, ऊपर बताए गए दो अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी आवेदक के विरुद्ध दर्ज की गई थी, जिनमें इस न्यायालय द्वारा आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और यह भी कि आवेदक दिनांक 15.09.2025 से जेल में है, तथा वर्तमान वाद में आवेदक के दोषी सिद्ध होने की संभावनाओं को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. आवेदक - आयुष तिवारी उर्फ आयुष कुमार तिवारी को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी हो) प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।



(vi) आवेदक निर्धारित की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

(vii) आवेदक साक्ष्यों के लिए निर्धारित की गई तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों।

(viii) आवेदक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित की गई तिथियों पर, व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

11. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

12. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

20 मार्च, 2026

अरुण/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।